


दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विवरण कियत
18/7/22	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली, पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज, न्याय के असंगत प्रावधानों का अवलोकन कर बहस पर खतम किया गया। अविभाजित भूमि ख. नं. 351/100 व 95 में वादी व प्रतिवादीगण समान हिस्से के सह-रजतदार हैं। प्रतिवादी सं. 2 द्वारा शपथ पत्र व फर्द मॉका रिपोर्ट अग्निकांड (दिनांक 25/6/21) संलग्न कर जमान पेश किया गया है जिसमें यह वर्णित है कि 25/6/21 को हुए अग्निकांड में उसका रहवाश जल गया, उसके रहने हेतु उपरि व्यवस्था नहीं है और वह बेघर हो गया है। इस हेतु वह उस बच्चे निवास स्थान के निकट मकान का निर्माण कर रहा है जिसकी ड्राई इत तर्क जा गयी है। दूसरी ओर, वादी व प्रतिवादी सं. 1 को यह संशय है कि वह अविभाजित भूमि में मनचाही जगह कब्जा कर अजनबी व्यक्तियों को कब्जा करवा बेचान ना कर दे + चूंकि भूमि मुख्य सड़क पर स्थित है।</p> <p>इस संदर्भ में न्यायालय का यह मत है कि प्रतिवादी सं. 2 को आराजनी में जल गये पूर्व आवास के निकट, जहाँ उसके नये मकान का निर्माण, अंतरिम अस्वास्थ्य निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 24/01/22, के कारण अधूरा रह गया था, उसे उस परिधि में पूर्ण करने की इजाजत देना व्यापक होगा व उसे यह करने की इजाजत दी जाती है। परंतु प्रतिवादी सं. 2 को पाबंद किया जाता है कि वह इसके अतिरिक्त अविभाजित भूमि के किसी और हिस्से पर नवीन अतिरिक्त निर्माण ना करे व मूल वाद तकासमा के अंतिम निस्तारण तक अविभाजित भूमि के अपने हिस्से का विक्रय किसी अजनबी व्यक्ति को नहीं करेगा, ना ही मूल वाद के अंतिम</p>	

सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	
		<p>विस्तारण तक ज्ञेयान हेतु किसी अजनबी व्यक्ति के साथ अपने हिस्से के अविष्य में किसी ज्ञेयान हेतु अनुबंध या रुयार संपादित करेगा।</p>	
		<p>इस आशय के साथ न्यायालय उभयपक्षकारानों की वाद के अंतिम विस्तारण तक अपना हिस्सा ज्ञेयान ना करने; मौके व रिमांड की यथास्विक्रि बनारस रखने हेतु पाबंद करता है और प्रतिवादी सं. 2 को उपरोक्त वर्णित शर्तों के दायरे में स्टुवर निर्माण की इजाजत देकर, मूल वाद के अंतिम विस्तारण तक यह T.I प्रा. पत्र confirm करता है। यह निर्णय सुनने न्यायालय में सुनाया गया।</p>	महोद
			1-
			2-
			3-
			4-
			5-
			6-
			7-
			8-
			9-

18/7/22

सहायक कलक्टर
नामर लेख